U;k;ky; lgk;d dysDVj ,oa mi[k.M vf/kdkjh] fcykM+k
ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :– रामचन्द्र खटीक, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19 / 2020

okn	cuke	izfroknhx.k
भोमाराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी रावर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. कुनाराम पुत्र मेघाराम 2. गोरखराम पुत्र मेघाराम 3. बख्तावरराम पुत्र मेघाराम 4. बाबूलाल पुत्र मेघाराम 5. रूखी पुत्री मेघाराम जातियान मेघवाल निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

izkFkZuk i= vUrxZr /kkjk 136 jktLFkku Hkw jktLo vf/kfu;e
lifBr /kkjk 209 jktLFkku Vhusalh ,DV

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार

fu.kZ;   fnukad %& 11 / 11 / 2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 151 / 3 रकबा 1.2378 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 / 2 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 / 1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 / 4 रकबा 3.0095 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 / 2 रकबा 1.7151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 / 1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 / 2 रकबा 1.2944 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 10.6627 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता मेघाराम जी की खातेदारी की थी। प्रार्थी के पिता मेघाराम जी 23 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। उनके पीछे उत्तराधिकारी उनके चार पुत्र कुनाराम, गोरखराम, बख्तावरराम, बाबूलाल व प्रार्थी भोमाराम तथा एक पुत्री रूखी है। जब प्रार्थी के पिता मेघाराम जी फौत हुये तब फौतेदगी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, उसमें प्रार्थी का लिपीकय भूलवश या त्रुटीवश भीयाराम नाम लिख दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भोमाराम है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबन्दी की नकल को प्राप्त की। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की नकल लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु बैक में गया और बैक मैनेजर साहब को जमाबन्दी एवं अपने सारे दस्तावेज आदि बताये तो बैक मैनेजर साहब ने ऋण देने से मना कर दिया और कहा कि जमाबन्दी में आपका नाम भीयाराम लिखा हुआ है तथा पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी यूको बैक भावी, एस. बी.बी.जे. बिलाड़ा बैक डायरी आदि के रेकर्ड में आपका नाम भोमाराम लिखा हुआ है

और कहा कि राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन कराने के पश्चात ही बैक में ऋण जारी किया सकता है। इस कारण प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में संशोधन कराने हेतु का यह रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी भोमाराम का पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी यूको बैक भावी, एस.बी.बी.जे. बिलाड़ा बैक डायरी आदि बने हुये है। जिसमें प्रार्थी का नाम भोमाराम पुत्र मेघाराम दर्ज है। जो सरकारी दस्तावेज आदि में प्रार्थी भोमाराम का नाम बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 151/3, 224/2, 267/1, 267/4, 321/2, 394/1, 686/2 की खातेदारी के विरूद्ध या म्यूटेशन के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के यहा कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। विवादग्रस्त भूमि में सयुक्त खातेदार ढगलाराम पुत्र मेघाराम, लाऔलाद फौत हो चुका है, उसके उतराधिकारी उसके सगे भाई बहिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 है। जो पक्षकार के रूप में संयोजित है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 151/3 रकबा 1.2378 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/4 रकबा 3.0095 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321/2 रकबा 1.7151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686/2 रकबा 1.2944 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 10.6627 हैक्टेयर की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम भीयाराम की जगह भोमाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उपस्थिति हेतु कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 151/3, 224/2, 267/1, 267/4, 321/2, 394/1, 686/2 स्थित है। इस भूमि में विरासत नामा. सं. 587 व 1133 भरते समय नाम भीयाराम दर्ज हो गया। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम भीयाराम के स्थान पर भोमाराम दर्ज किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित कर निस्तारण फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित किया जा सकता है तथा उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट किया जाना न्याय संगत है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में निर्णय किया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 151/3, 224/2, 267/1, 267/4, 321/2, 394/1, 686/2, ग्राम रावर, प्रदर्श 2 पहचान पत्र सन् 2011 भोमाराम पुत्र मेघाराम, प्रदर्श 3 आधारकार्ड

भोमाराम, प्रदर्श 4 राशनकार्ड भोमाराम, प्रदर्श 5 भामाशाह कार्ड आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम भोमाराम पुत्र मेघाराम दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की सयुक्त खातेदारी भीयाराम पुत्र मेघाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम भोमाराम पुत्र मेघाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 151/3 रकबा 1.2378 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/4 रकबा 3.0095 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321/2 रकबा 1.7151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686/2 रकबा 1.2944 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 10.6627 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार भीयाराम पुत्र मेघाराम के स्थान पर भोमाराम पुत्र मेघाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

vfUre fMØh o eqdnek bUrnkbZ
¼vkMZj 21 :y 6&7 tkCrk nhokuh½

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

oknh	cuke	izfroknh
भोमाराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी रावर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. कुनाराम पुत्र मेघाराम 2. गोरखराम पुत्र मेघाराम 3. बख्तावरराम पुत्र मेघाराम 4. बाबूलाल पुत्र मेघाराम 5. रूखी पुत्री मेघाराम जातियान मेघवाल निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

izkFkZuk i= vUrxZr /kkjk 136 jktLFkku Hkw jktLo vf/kfu;e
lifBr /kkjk 209 jktLFkku VhusUlh ,DV

राजस्व वाद संख्या :– 19/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 151/3 रकबा 1.2378 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224/2 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267/4 रकबा 3.0095 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321/2 रकबा 1.7151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686/2 रकबा 1.2944 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 10.6627 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार भीयाराम पुत्र मेघाराम के स्थान पर भोमाराम पुत्र मेघाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

rht & eqcfyx & ckcr &

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।